

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24-12-20 पगावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित ।
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त
हुए जिले शामिल पगावली किये गये । पखार
लका पखारी आलमारा द्वारा मंका रिपोर्ट प्राप्त
हुई जिले शामिल पगावली की गई, अप्रार्थीगण
का कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने के
उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया
जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय सूचक से लिखा जाकर
शामिल पगावली किया गया । पगावली फंसल
सुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मा संख्या - 158/00 प्रो.पत्र

श्री कल्याणजी कल्याण गाडरी गियासी कशीराम जी की खेडी त. माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री उगमा जी कल्याण कुमावत कियासी कशीराम जी की खेडी त. माण्डल [क्यात]
(संबंधित प्रो.पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम कशीराम जी की खेडी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1049/1035 कुल किता 01 रकबा 01 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते में की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-09-20 को पंजीबद्ध किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत कारत की होने से दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की गरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कशीराम जी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की नं. 1049/1035 कुल किता 01 रकबा 01 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास 300/- - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

पि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।